

## कार्यालय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़।

### आदेश

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत परिपत्र सं० 05/एडमिन. जी-11/इलाहाबाद दिनांकित 31.03.2026 के अनुसार माननीय न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि बार एसोसिएशनों द्वारा उत्सवों/समारोहों के नाम पर आयोजित कार्यक्रमों में कतिपय अशोभनीय एवं अश्लील गतिविधियां आयोजित/प्रोत्साहित की जा रही हैं, जो महिलाओं का वस्तुकरण करती हैं तथा न्यायालयीय गरिमा के प्रतिकूल हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में ऐसी किसी भी गतिविधि का आयोजन या प्रोत्साहन न किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि न्यायालय परिसर एवं बार परिसर की गरिमा हर स्थिति में अक्षुण्ण बनी रहे।

यदि ऐसी कोई गतिविधि संज्ञान में आती है, तो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उसकी सूचना तत्काल माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश महोदय को प्रेषित की जायेगी।

जनपद की समस्त बार एसोसिएशनों को अनुपालनार्थ अवगत कराया जाए तथा उपरोक्त परिपत्र की प्रति भी प्रेषित हो।

इस आदेश की प्रति जिला न्यायालय की वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाये।

दिनांक: 01.04.2026

(पंकज कुमार अग्रवाल)  
जनपद न्यायाधीश,  
अलीगढ़।